BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 फरवरी, 2025 **थाना चोला**

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराकर, दुर्घटना का फर्जी अभियोग पंजीकृत कराने वाली पत्नी अपने प्रेमी व उसके साथी सहित गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, मृतक का मोबाइल फोन, अवैध असलहा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2025 को वादिया प्रीति पत्नी गौरव निवासी धर्मकाटा वाली गली साठा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना चोला पर तहरीर दी गयी कि उसका पति गौरव दिनांक 24.01.2025 को शाम के समय घर से कुछ काम के लिए गया था रात्रि में करीब 09.30 बजे पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि उसके पति गौरव का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया हैं तथा उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। वादिया जब अस्पताल पहुँची तो पता चला की उसके पति की मृत्यु हो गयी हैं। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चोला पर मुअसं- 22/25 धारा 281/106 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/छानबीन में अभियुक्त निमेश का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 01.02.2025 को थाना चोला पुलिस द्वारा अभियुक्त निमेश व उसके साथी तरुण उर्फ सौरभ को अवैध असलहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक के मोबाइल फोन को बरामद किया गया तथा मृतक की पत्नी प्रीति को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना चोला पर पंजीकृत मुअसं- 22/25 धारा 103(1) बीएनएस में धारा 61(2)/239 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 की वृद्धि कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- निमेश पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम खेतलपुर भैसोली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2- तरुण उर्फ सौरभ पुत्र महेश निवासी ग्राम खेतलपुर भासौली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3- प्रीति पत्नी गौरव निवासी धर्मकाटा वाली गली साठा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 आई-10 गाड़ी नं0 DL-8CT-6276 (घटना में प्रयुक्त)
2. 02 मोबाइल फोन (मृतक के)
3. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

घटना का विवरणः- मृतक गौरव अभियुक्त निमेश का रिस्ते में मामा लगता था। अभियुक्त निमेश के मृतक की पत्नी प्रीति से संबंध थे जिसकी जानकारी मृतक को हो गयी थी इस कारण उनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था। प्रीति द्वारा अभियुक्त निमेश से कहा कि मैं अपने पति से परेशान हो गयी हूँ , उसके रहते अब हम नहीं मिल सकते इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा तथा दोनो ने मिलकर गौरव की हत्या करने की योजना बनाई। अभियुक्त निमेश द्वारा अभियुक्त तरुण उर्फ सौरभ को 50,000/- रुपये में गौरव की हत्या करने की बात तय की गयी तथा योजनानुसार दिनांक 24.01.2025 को मृतक को फोन कर कौशिक फार्महाउस खैतलपुर भैसोली बुलाया गया तथा वहां पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। उसके शव को गाड़ी में रखकर चोला रोड़ पर फेक दिया तथा उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल को कुछ दूरी पर फेक दिया और वहां से अपने घर आ गये।

गिरफ्तार अभियुक्त निमेश का आपराधिक इतिहास -

1. मुअसं- 361/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 637/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 22/25 धारा 103(1)/61(2)/239 बीएनएस थाना चोला बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त तरुण उर्फ सौरभ का आपराधिक इतिहास -

1. मुअसं- 1348/18 धारा 379/411 भादवि थाना फैस iii नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मुअसं- 569/22 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना सैक्टर 58 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मुअसं- 22/25 धारा 103(1)/61(2)/239 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्ता प्रीति का आपराधिक इतिहास -

1. मुअसं- 22/25 धारा 103(1)/61(2)/239 बीएनएस थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री लोकेश प्रताप सिंह थाना प्रभारी चोला
2. व0उ0नि0 दल सिंह, उ0नि0 शुभम चौधरी, उ0नि0यू0टी0 संदीप सरोज
3. है0का0 जितेन्द्र कुमार, है0का0 चन्द्रवीर सिंह, का0 अरविन्द कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर